राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1876/2016/भरतपुर.

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–अ, भरतपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एस.वी.एम.आयॅल प्रा0 लि0,
भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 19.09.2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 84 के तहत अपील संख्या 146/सीएसटी/2015–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. राजस्व की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा फर्जी घोषणा पत्र सी फार्म को अस्वीकार करने के क.नि.अ. के आदेश को यथावत रखा गया है परन्तु शास्ति के बिन्दू पर प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना अविधिक है।

3. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित न होने से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा अवैध घोषणा पत्रों को अस्वीकार कर आरोपित अन्तर कर व ब्याज को आरोपित किया जाना विधिसम्मत माना गया है एवं शास्ति को अपास्त करते हुये कर निर्धारण अधिकारी को यह मौका दिया गया है वे इस बिन्दू पर जांच करें कि व्यवसायी द्वारा जो घोषणा पत्र प्राप्त किये गये थे उससे संबंधित संव्यवहार ही बोगस पाये जाये तो शास्ति आरोपित करें एवं बोगस न पाये जाये तो शास्ति को अपास्त किया जावें। अपीलीय अधिकारी कौ यह आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है एवं दिये गये निर्देश भी न्यायसम्मत है अतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य